10/6/25

वकील प्रतिवादी - 03 उप० प्रा०पत्र O22 R 15 CPC स्वीकार किया जाकर वाद पत्र वादी स्वतः उपशमित होने से निरस्त किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। नंबर से कम हो।

GCMS 2025/113

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार, आर.ए.एस.)

वाद–पत्र संख्या 60/2025

दायरा दिनांक : 19/02/2025

अनवान् : बिशनाराम बनाम् फूसाराम व अन्य

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय

दिनांक : 10.06.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र आदेश–22 सपठित धारा–151 के निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 राजु पुत्र फूसाराम के द्वारा दिनांक 06.05.2025 को अपना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के अन्तर्गत आदेश–22 सपठित धारा–151 सी.पी.सी. का पेशकर निवेदन किया है कि वाद–पत्र में अंकित वादी बिशनाराम का स्वर्गवास सन् 2014 में हो चुका है जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से वकील वादी और उनके वारिसान को है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अनवान के वाद पत्र में दिनांक 25.03.2010 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील सं. 10/2010 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अनवान फूसाराम बनाम बिशनाराम कि, की गई थी। जिसमें दिनांक 24.11.2010 को पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील सं. 40/2011/श्रीगंगानगर अनवान किशनाराम बनाम फूसाराम की माननीय राजस्व मण्ड्ल राज0 अजमेर के समक्ष पेश की गई थी। इस अपील के विचाराधीन के दौरान सन् 2014 में वादी बिशनाराम का स्वर्गवास हो जाने और बिशनाराम के वारिसान द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही निर्धारित अवधि में ना जाने से अपील स्वतः उपशमित हो जाने से इसे निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन माननीय राजस्व मण्ड्ल राजस्थान अजमेर के समक्ष दिनांक 29.04.2022 को आदेश–22 सपठित धारा–151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेशकर किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति उनके अभिभाषक द्वारा प्राप्त किये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा कायम मुकाम की कोई कार्यवाही ना किये जाने और अपील में उपस्थित ना होने पर अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 18.10.2022 को पारित किये गये थे। अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश–22 नियम व 151 सी.पी.सी. की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेशकर निवेदन किया गया है कि वादी के सन् 2014 में स्वर्गवास हो जाने और उनके वारिसान के द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही निर्धारित अवधि व इसके पश्चात भी ना किये जाने से वाद वादी स्वतः ही उपशमित हो जाने से इसे निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावें।

प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष पेश की गई अपील सं. 40/2011/श्रीगंगानगर में दिनांक 29.04.2022 को बिशनाराम के सन् 2014 में फौत होने और अपील उपशमित होने की जानकारी प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अदालत में दी हुई है। इसके पश्चात उक्त अपील दिनांक 18.10.2022 को खारिज होने के पश्चात भी कोई भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। वादी का वाद–पत्र नियमानुसार स्वतः ही उपशमित हो चुका है। अपनी बहस के समर्थन में न्याय निर्णय RBJ 2010 P. N. 628 S.C. का पेश करते हुये वाद वादी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बिशनाराम वादी का स्वर्गवास सन् 2014 में होने की सूचना अपील सं. 40/2011/श्रीगंगानगर अनवान् बिशनाराम बनाम् फूसाराम में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–22 सपठित धारा–151 सी.पी.सी. के द्वारा न्यायालय को दी जाना और इसकी प्रति बिशनाराम के वकील द्वारा दिनांक 29.04.2022 को प्रार्थना–पत्र की प्रति प्राप्त की जाना इस अदालत में प्रस्तुत उक्त अपील के निर्णय के साथ प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र की पेश की गई प्रमाणित प्रति से साबित है। इस उक्त अनवान के वाद–पत्र को [illegible] में दिनांक 25.03.2010 को पारित निर्णय व डिक्री को अपील सं. 10/2010 अनवान फूसाराम बनाम् बिशनाराम में दिनांक 24.11.02010 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय द्वारा निरस्त करते हुये रिमाण्ड किये जाने के आदेश पारित किये होने के कारण वाद–पत्र की पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी की मृत्यु सन् 2014 में हो जाने और कायम मुकाम की कार्यवाही ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:02 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किये जाने से वाद–पत्र आदेश–22 नियम–3(2) व 9 सी.पी.सी. के अनुसार स्वतः उपशमित हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RBJ 2010 पेज संख्या 628 अनवान् बलवन्त सिंह बनाम् जगदीश सिंह व अन्य में भी आदेश–22 नियम–9 C.P.C. :– When after the death of appellant plaintiff no application was field for bringing the LR's of the appellant on record – Delay is of 778 days – Abatement is automatic and no specific order is required प्रतिपादित किया गया है। जो कि इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है। इसलिये वाद वादी स्वतः उपशमित होने से निरस्त किया जाना विधि अनुसार उचित एवं न्याससंगत है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी राजू का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अनवान का यह वाद–पत्र वादी स्वतः उपशमित होने से इसे निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 10/06/2025 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.18 11:56:02 IST
Reason: SelfAttested